न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 111/2015 (उदयपुर डिक्री)

1. चमनलाल पिता स्वर्गीय श्री तुलसीराम जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राधेश्याम पिता स्वर्गीय श्री तुलसीराम जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सूरज देवी पुत्री स्वर्गीय श्री तुलसीराम जी गुर्जर पत्नी जगदीश जी गुर्जर, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 01.10.2015 प्र.सं. 199/10

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2 श्री पंकज भटनागर राजकीय अभि.रे.सं. 1

———:::———

निर्णय **दिनांक 05–03–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बलीचा में बिलानाम साबिक आराजी नंबर 241/1 मी. में से 10 बीघा भूमि मिसल नंबर 273 सन् 57 से वादीगण के पिता को आवंटित की जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 15 खोला जाकर आराजी नंबर 241/1 घ रकबा 10 बिघा भूमि वादीगण के पिता के नाम

राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2015 से 2018 में खाता संख्या 72 में दर्ज की गयी। वादीगण के पिता के नाम उक्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व यानि संवत् 2033 तक निरन्तर राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी हक से दर्ज चली आ रही थी व नामान्तरकरण संख्या 328 से वादीगण के पिता को खातेदारी हक भी प्रदान किये गये, किन्तु सेटलमेन्ट के कर्मचारियों व अधिकारियों ने सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज कर आराजी नंबर 1793 व 1794 में मिला दिया गया, जबकि वादीगण के पिता की उक्त 10 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता का एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों को केवल सक्षम न्यायालय के आदेश, विरासत एवं बिकाव इन तीन परिस्थितियों में ही इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार है। अतएवं हाल आराजी नंबर 1793 व 1794 में से 10 बीघा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी सरकार द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 1793 व 1794 राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज है तथा आराजी नंबर 241/1घ से नहीं बनी है तथा उक्त भूमि की किस्म पहाड़ है। हाल आराजी नंबर का रकबा भी साबिक आराजी नंबर से मिलान नहीं खाता है तथा वादग्रस्त भूमि फेराफेरी में आती है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सरकार को 80 सी.पी.सी. का नोटिस भी नहीं दिया गया है। वादग्रस्त भूमि बिलानाम होने से वादीगण को कोई वादकरण उत्पन्न नहीं होता है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्य सबूतों के आधार पर निम्नानुसार 5 तनकियात कायम की गयी :—

1. आया राजस्व ग्राम बलीचा तहसील गिर्वा की बिलानाम साबिक आराजी नंबर 241/1 मी. में से 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता को एलोट की गयी व खातेदारी में दर्ज की गयी ? .... वादीगण
2. आया वादीगण के पिता के खातेदारी की उक्त आराजियात को दौराने सेटलमेन्ट बिलानाम सरकार दर्ज कर बिलानाम आराजी नंबर 1793 व 1794 में मिला दिया गया ? .... वादीगण

3. आया वादीगण ग्राम बलीचा की हाल आराजी नंबर 1793 रकबा 3.0450 हैक्टर व आराजी नंबर 1794 रकबा 0.1550 हैक्टर में से 10 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं ? .... वादीगण
4. आया वादीगण को वांछित स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? .... वादीगण
5. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01–10–2015 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–12–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कयासी आधारों पर होकर विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने पेश शुदा शहादत व उपलब्ध साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन नहीं किया हैं तथा तनकी नंबर 1 से 3 का निर्णय एक साथ करने में भूल की है। तनकी नंबर 4 का निर्णय भी अपीलान्ट के पक्ष में किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस एवं अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल 5 तनकियात कायम की गयी हैं, जिसमें तनकी नंबर 1 से 3

का निर्णय एक साथ कर दिया है, जबकि उक्त तीनों तनकियां पृथक–पृथक बिन्दुओं पर अवलम्बित थी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी नंबर 1 बाबत् अपीलान्ट/वादीगण द्वारा स्पष्टतः राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत किये गये हें, जिसके अनुसार भूमि का आवंटन किया जाना तथा खातेदारी हक प्रदान किये जाने के रेकार्ड उपलब्ध हैं, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों तनकियों का एक ही विवेचन करते हुए वादीगण के विरूद्ध तीनों तनकियां निर्णित कर दी हैं, जो जाब्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 5 का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य पूर्व रूप से उपलब्ध था कि आराजी नंबर 241/1 मी. से 10 बीघा भूमि वादीगण के पिता को आवंटित हुई थी, जिसके आवंटन के बाद नंबर 241/1 घ बनकर उसके खातेदारी अधिकार भी वादीगण के पिता को प्रदान किये गये।

प्रकरण में जहां तक उक्त भूमि के नये नंबर बनने का प्रश्न है, इस बाबत् आराजी नंबर 1793 व 1794 का जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत हुआ है उसे भी साबिक आराजी नंबर 241 मी. से हाल आराजी नंबर 1793 व 1794 बनना सुस्पष्ट है। अब प्रश्न सिर्फ इतना सा विचारणीय रहा है कि वर्तमान आराजी नंबर 1793 व 1794 में आराजी वादी की आराजी 241 मी. या पूर्व की आराजी नंबर 241/1 घ का रकबा 10 बीघा शामिल था अथवा नहीं। अपीलान्टगण द्वारा इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय में पेन्टोग्राफ इत्यादि भी पेश किये गये हैं तथा यह सुस्पष्ट है कि पूर्व में भूमि वादीगण के पिता को आवंटित होकर खातेदार अधिकार दिये जा चुके हैं तो अब उक्त भूमि साबिक आराजी नंबर 241/1 घ रकबा 10 बीघा वर्तमान में कहां पर स्थित है, इस बाबत् मौका जांच करवायी जाकर कि आया साबिक आराजी नंबर 241/1 घ वर्तमान में कहां पर स्थित है, इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय को विवेचन करना चाहिए था, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण हैं। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जाब्ता दीवानी के आख्यापक प्रावधानों के विपरीत होने तथा साक्ष्यों का युक्ति–युक्त विवेचन नहीं किये जाने से त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01–10–2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का तनकीवार विवेचन करते हुए उभयपक्षों को पुनः सुनकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 04–05–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–03–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.........मुकाम...............**उदयपुर**.............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰** ....

मूर्ति मंदिर श्री कमलनाथ महादेवजी (तीन देवरी), उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, उदयपुर व अन्य बनाम **भारत संघ जरिये श्री महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर व अन्य**

अपील नं॰.......**73/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....**उपखण्ड अधिकारी**..... ....**गिर्वा**.......... मुकाम................मुवर्खे............**24**...............माह..............**05**............**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**25**....माह........**01**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री प्रकाश खत्री/उत्तमप्रकाश आमेटा**.मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री अरूण जैन**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**25**......माह.......**01**...........**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।